

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

जिला:- कुशीनगर

विकास खण्ड:- खण्डा

ग्राम पंचायत:- बघौर छपरा

समिति का प्रकार (एकल):- एकल


आज दिनांक 11/11/2024 को ग्राम पंचायत बघौर छपरा के गांव बघौर छपरा में एक बैठक सम्पादित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए:-


आज की बैठक में ग्राम पंचायत बघौर छपरा से सम्बन्धित एकल/बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।


क्र सं०	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला/ SC/ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	संजय पाठक	782709484	OBC	36	अध्यक्ष	
2	अनील सिंह	638995923	GEN	50	सचिव	
3	नंगमती	9936989017	SC	40	सदस्य	
4	वकील	7393973603	SC	45	सदस्य	
5	गिरीश	8115650227	OBC	60	सदस्य	
6	विनीता	8795819199	OBC	45	सदस्य	
7	देवती देवी	8170823579	OBC	54	सदस्य	
8	अनील	9988611812	GEN	45	सदस्य	
9	मीना	9838216840	OBC	36	सदस्य	
10	महेश शर्मा	9839739870	OBC	55	सदस्य	
11	बलराम	9936302725	GEN	50	सदस्य	
12	गीता देवी	7506489046	GEN	42	सदस्य	
13	राजकुमार	9306448946	GEN	50	सदस्य	
14					सदस्य	
15					सदस्य	
16					सदस्य	
17					सदस्य	

उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एफ0एच0टी0सी0 प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियों से दूर स्थित छिट-पुट घरों को भी एफ0एच0टी0सी0 प्राप्त हो।
 2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (टी0ए0पी0) की तैयारी सुनिश्चित करना।
 3. गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना।
 4. केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा यथा- निर्धारित एजेंसियों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं/ सामग्री का प्रापण करना।
 5. अंतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा-स्थिति 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है।
 6. स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतः ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
 7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।
 8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएँ और उसका रख-रखाव करें, जो नकदी और/या वस्तु और/या श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख-रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
 9. पी0आर0ए0 गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
 10. जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
 11. स्थानीय जल स्रोतों सहित अंतः ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।
 12. ग्राम पंचायत/ ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
 13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
 14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
 15. एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकॉर्ड रखना।
 16. फील्ड जाँच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/ प्रशिक्षित करना।
 17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है।
- अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


हस्ताक्षर एवं मोहर
सचिव
ग्राम-देवी पो-सिंगडा
जिला-कृष्णनगर


महामंत्री
ग्रामोदय
ग्राम-देवी पो-सिंगडा
जिला-कृष्णनगर


हस्ताक्षर एवं मोहर
ग्राम प्रधान
ग्राम-देवी पो-सिंगडा
जिला-कृष्णनगर

आई0एस0ए0 का नाम-ग्रामोदय

आई0एस0ए0 कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर--